राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1527/2009/अजमेर

मैसर्स अशोका टिम्बर ट्रेडर्स
ब्यावर — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
उडनदस्ता, पाली — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 26.09.2016

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 03/01–10/वैट/ब्यावर में पारित अपील आदेश दिनांक 08.06.2009 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, पाली (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 51,814/– को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.03.2009 को वाहन संख्या आर.जे.1जी–9040 को गांधीधाम से ब्यावर के लिए प्लाई बोर्ड परिवहनित करते हुए पाली में रोक कर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे प्लाई बोर्ड के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक सह माल प्रभारी ने बिल्टी संख्या 25779 दिनांक 02.03.2009, टैक्स इनवाईस नम्बर 262 दिनांक 02.03.2009, गुजराज राज्य का फार्म 402 एवं वैट–47 नम्बर 3273941 डुप्लीकेट पार्ट भरा हुआ तथा ओरिजनल बिलकुल रिक्त आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट–47 मूल प्रति रिक्त पाये जाने के कारण अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति मय भाडा राशि के रू. 51,814/–आरोपित की। उक्त सृजित मांग राशि के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है,जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि नोटिस की पालना में दिय गये उत्तर पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत मांग सृजित की है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि प्लाई बोर्ड गांधीधाम से मंगाया गया था और परिवहन के दौरान सभी दस्तावेज वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग वैट–47 प्रस्तुत किया गया था जिसका डुप्लीकेट पूर्ण रूप से भरा हुआ था किन्तु मूल पार्ट रिक्त था। उनका कथन है कि मूल प्रति किसी दोषी मानसिकता से रिक्त नही रखा गया था वह फर्म पर कार्यरत क्लर्क की गलती से रिक्त रह गया था,जिसमें उसकी कोई कर चोरी की मंशा नहीं थी। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही मांग सृजित की है,जो अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग दोषी मानसिकता के साथ वैट–47 संख्या 3273941 दो प्रतियों प्रस्तुत किया गया है,जिसकी ओरिजनल अर्थात मूल प्रति पूर्ण रूप से रिक्त थी। उनका कथन है कि यदि माल की चेकिंग नही की जाती है तो उसका पुनः प्रयोग किये जाना निश्चित था। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम सी.टी.ओ निर्णय दिनांक 03.08.2007 एवं ए.सी.टी.ओ. बनाम बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निर्णय दिनांक 06.11.2008 में प्रतिपादित मत के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है, जो पूर्णतः उचित है ।उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग वैट–47 दो प्रतियों में प्रस्तुत किया गया था जिसका दूसरी प्रति पूर्ण रूप से भरी हुई थी किन्तु मूल प्रति रिक्त थी, इस आधार पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत मांग सृजित की है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम सी.टी.ओ निर्णय दिनांक 03. 08.2007 एवं ए.सी.टी.ओ. बनाम बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निर्णय दिनांक 06.11. 2008 को उद्धरित किया है,जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि "वैधानिक घोषणा पत्र वक्त जांच परिवहन के दौरान खाली या अधूरा भरा होने पर शास्ति लगाना जायज है तथा कर चोरी की नियत साबित करने का दायित्व विभाग पर नहीं है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण एवं समग्र रूप से विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है,जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नही समझती है। फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य